न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 18 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 27

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर		हेमाराम पुत्र भगाराम जाति कलबी निवासी आसराबा उड़ा तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तह.उपस्थित।

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

:आदेश:

दिनांक 16/01/25

यतः तहसीलदार कल्याणपुर ने ग्राम आसराबा उड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 88 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षो से मौके पर चलायमान रास्तें को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांकः राजस्व (गुप्र–6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार की प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार आदेश दिए जावे हैः–

ग्राम आसराबा उड़ा पटवार मण्डल आसराबा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 88 में से संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को राजहित में समर्पण करने के लिए राजस्व (गुप्र–6)विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी में से कम करते हुए सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू–अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैः–

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. स.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	66	88	11.9868	बा.दो.	88	0.3237	गै.मु.रास्ता	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
16/01/2025